— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक-07.06.2021

मा0न्यायालय से वारण्ट जारी होने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष हाजिर न होने के कारण फरार होने की उद्घोषणा की कार्यवाही 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत थाना अहरौरा पुलिस द्वारा की गई—

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धर-पकड़ हेतु जनपद में समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जाती है। इसके साथ ही पंजीकृत अभियोगों के सफल अभियोजन हेतु अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही भी करायी जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 07.06.2021 जनपद मीरजापुर के थाना अहरौरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-07/2021 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 एवं 3(1)ध व 3(2)5A एससी /एसटी एक्ट में मा0न्यायालय द्वारा उपस्थित होने का बार-बार आदेश दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-आकाश पाण्डेय , 2- विकास पाण्डेय उर्फ विक्की पुत्रगण कपिलदेव पाण्डेय उर्फ पप्पू निवासी घासीपुर थाना अहरौरा मीरजापुर के विरूद्ध मा0न्यायालय के आदेश से 82 जा0फौ0 की कार्यवाही करायी गयी। उक्त कार्यवाही में उ0नि0 मोती सिंह यादव द्वारा मुनादी करा कर, सार्वजनिक स्थान प्राइमरी पाठशाला घासीपुर व अभियुक्तगण के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया तथा आस-पास के लोगों को भी इस बारे में अवगत कराया गया।